

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्मल।

पत्रांक

1971

/अनापत्ति/2021-22

दिनांक 12/11/21

मुख्य अभियन्ता अधि.हा.पि.

गंगा।

विषय

गंगा विल्टी विन्ती मार्ग (कम मार्ग 51) को किमी0 75 पर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यकता है अनापत्ति के सम्बन्ध में।

संदर्भ

गंगा एक्सप्रेसवे सं0 3023 गुणिका/20/1965/ (लेक) दिनांक 26 जुलाई 2021

प्रति, आपका सम्बन्धित पत्र के कम में इस खण्ड के वनाधीन वन मार्ग 51 के किमी0 75 पर प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के पलाई ओवर निर्माण के लिए आवश्यकता है अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के पलाई ओवर निर्माण हेतु अनापत्ति निर्माण के कारण प्रदान की जाती है।

मार्ग 51 के मार्ग के संचालन के लिए मार्ग 51 का है जिसका विषय में 4 लेन चौड़ीकरण की विचार जा सकता है। मार्ग 51 के मार्ग के चौड़ाई 24.50 मी0 वांछित होगी। अतः पलाई ओवर का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि मार्ग पर यूनितम चौड़ाई 24.50 मी0 उपलब्ध रहे।

निर्माण के समय मार्ग पर यातायात बाधित नहीं होगा। वाहनों तथा यातायात की सुविधा सुख सह सुविधा के अनुसार आवश्यक समुचित प्रवर्धन आपका विभाग के होने।

निर्माण के समय पर आवश्यकता अनुसार आयोजन का निर्माण लो0नि0वि0 की विधिस्थितियों के अनुरूप आपका विभाग द्वारा किया जायेगा।

निर्माण की अवधि में मार्ग पर यातायात के संचालन हेतु निर्मित आयोजन के अनुरूप आपका विभाग द्वारा किया जायेगा।

निर्माण हेतु आवश्यक मिट्टी तथा अन्य सामग्री की दुलाई के भारी माल वाहनों के गुजरने के कारण लो0नि0वि0 स्थिति के मार्ग पर बाधित विधि भी प्रकार की क्षति पहुँचती है। इसकी मरम्मत पर आपका विभाग द्वारा वहन किया जायेगा अथवा मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा।

निर्माण की अवधि में विन्ती की प्रकार की दुर्घटना/जगहानि/क्षति के लिए आपका विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। जिससे सम्बन्धित वांछित कार्यवाही आपके विभाग द्वारा तत्काल की जाती होगी।

निर्माण कार्यधिकारी 3020 शारान के सं0 सं0 57ई023 11 2015/0/03 दिनांक 18.02.2015 पार्सल सं0 54 1974 के अनुसार 550 मी0 वर्टिकल क्लियरन्स रखा जायेगा। मार्ग के आयोजन के अनुसार 500 मी0 एम0एम0 की मोटाई का उत्खनीकरण/सुदृढीकरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग के 1.5m वर्टिकल से 500 एम0एम0 का अतिरिक्त vertical clearance को सम्मिलित करने हुए कुल 600 मी0 यूनितम vertical clearance रखा जायेगा।

निर्माण के समय पलाई ओवर के कारण मार्ग पर चलने वाले यातायात के लिए वांछित सुरक्षात्मक कार्य एवं साईनेज आपके विभाग द्वारा आई0आई0सी0 की विधिस्थितियों के अनुरूप लगाया जायेगा।

मार्ग की लेमिटा सतह के दोनों ओर लो0नि0वि0 की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत है अथवा भूमि पर वृक्ष स्थित है। निम्नानुसार वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

अनापत्ति के निर्माण के समय लेक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशन करने का भी प्रावधान होगा।

ACB/GM(R/S)

28/10/21

CE(SA)

San Jagannath, SA

San Jagannath, SA
24/10/21
San Jagannath, SA

/अनापत्ति/2021-22

1. मुख्य अभियन्ता मुरदाबाद; क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरदाबाद को सूचनाएं प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता मुरदाबाद; क्षेत्र लो0नि0वि0 मुरदाबाद को सूचनाएं प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता निरत बैंक खण्ड लो0नि0वि0 मुरदाबाद को सूचनाएं प्रेषित।
4. श्री गाँह, मुख्य सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 सम्मल को सूचनाएं प्रेषित।
5. स्वयं के पदाधीन हेतु प्रेषित।
6. प्रतिलिपि प्राथमिक वर्ग को।

C.S

(अरविन्द कुमार)
प्रमानीय वनाधिकारी

(अरुण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर/अधिकृत अधिकारी
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
सम्मल।

दिनांक